इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2018—फाल्गुन 18, शक 1939

तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2018

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2008 में सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2009 में जिन स्थानों पर जहां भी "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" शब्द आया उसके ठीक आगे निम्नानुसार शब्द प्रस्थापित किये जाते है।

"चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं को छोडकर"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा व्दारा निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं,**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) **'अनिवासी भारतीय'** से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनिवासी भारतीय;

(ख) **'अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो अनिवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय का फर्स्ट डिग्री ब्लड (first degree blood) रिश्तेदार अथवा अनिवासी भारतीय पर आश्रित हो;

(ग) **'अन्य पिछड़ा वर्ग'** से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.);

(घ) **'अनुसूची'** से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा व्दारा समय–समय पर जारी अनुसूचियॉं;

(ङ) **'अनुसूचित जनजाति'** से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जनजाति;

(च) **'अनुसूचित जाति'** से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति;

(छ) **'आवश्यक दस्तावेज'** से अभिप्रेत है, समय–समय पर **अनुसूची–3** में वर्णित दस्तावेज;

(ज) **'काउंसिलिंग'** से अभिप्रेत है, रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय आबंटन करने की प्रक्रिया;

(झ) **'काउंसिलिंग समिति'** से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय समय पर गठित काउंसिलिंग समिति;

(ञ) **'दिव्यांग अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना अनुसार पात्र अभ्यर्थी;

(ट) **'चयन परीक्षा'** से अभिप्रेत है पाठ्यक्रम से संबंधित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेस टेस्ट (NEET);

(ठ) **'प्रवर्ग'** से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सैनिक दिव्यांगएवं अनिवासी भारतीय प्रवर्ग;

(ड) **'प्रवेश हेतु अर्हता'** से अभिप्रेत है, **अनुसूची–1** में वर्णित अर्हताएं;

(ढ) **'पोर्टल'** से अभिप्रेत है https://dme.mponline.gov.in ;

(ण) **'महाविद्यालय'** से अभिप्रेत है निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

(त) **'रिक्तियां'** से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) अथवा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (DCI) व्दारा पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय वार स्वीकृत सीट के विरूद्ध रिक्तियां जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक उत्पन्न होने वाली समस्त रिक्तियां शामिल हैं;

(थ) **'विश्वविद्यालय'** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थापित चिकित्सा शिक्षा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी विश्वविद्यालय;

(द) **'स्वतंत्रता संग्राम सैनानी प्रवर्ग** के अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी जिला कलक्टर व्दारा संधारित पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का पुत्र अथवा पुत्री, पोता–पोती एवं नाती–नातिन;

(ध) **'सेवारत अभ्यर्थी'** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के अधीन किसी विभाग अथवा संस्था में नियमित अथवा संविदा सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी जिसने नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया हो;

(न) **'सैनिक** प्रवर्ग के अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, भारत वर्ष की किसी सेना में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक के पुत्र अथवा पुत्री, इसमें सेवा के दौरान मृतक सैनिक के पुत्र–पुत्री भी सम्मिलित हैं;

(प) **'श्रेणी'** से अभिप्रेत है, अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी।

3. **प्रवेश केलेण्डर,–** संचालक, चिकित्सा शिक्षा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केलेण्डर प्रकाशित कराएगा जिसमें प्रवेश की प्रकिया के विभिन्न चरणों के लिए समयावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4. **आरक्षण,–**

(1) <u>श्रेणीवार आरक्षण–</u>

(क) श्रेणीवार आरक्षण अनुसूची–2 के खण्ड 'अ' अनुसार होगा।

(ख) राज्य शासन केदिशा–निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(ग) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आबंटन निम्न कम से किया जाएगाः–

(1) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(2) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को।

(घ) काउंसिलिंग के अंतिम चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(2) प्रवर्गवार आरक्षण,—

(क) प्रवर्गवारआरक्षण अनुसूची—2 के खण्ड 'ब' अनुसार होगा।

(ख) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आबंटन हेतु संबंधित प्रवर्ग के उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी की संख्या तक स्वतः सीमित हो जाएगी।

(ग) प्रवर्गवार आरक्षण श्रेणीवार नहीं होकर कुल रिक्तियों के संबंध में समग्र रूप से लागू होगा।

5. **रिक्तियों का प्रकाशन,—**महाविद्यालय,विषय, श्रेणी एवं पाठ्यक्रम वार रिक्तियों का प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाएगा। प्रदर्शित जानकारी के संबंध में विनिर्दिष्ट समय—सीमा में आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी जिनका निराकरण काउंसलिंग की प्रकिया प्रारम्भ होने के पूर्व किया जाएगा।

6. **पंजीयन,—**चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी देते हुए विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर पंजीयन कराना होगा। अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगी। जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा। पंजीयन पश्चात् पंजीयन में दी गई जानकारी में परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय अथवा स्वीकार नहीं की जाएगी।

7. **वरीयता सूची का प्रकाशन,—**विभिन्न श्रेणियां में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

8. **पंजीकृत अभ्यर्थी व्दारा विकल्प दर्ज करना,—**नियम 7 के तहत वरीयता सूची के प्रकाशन के उपरांत, उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज करेगा।

9. **काउंसिलिंग के प्रथम चक मेंप्रवेश हेतु आबंटन,—**पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यकम, विषय एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा।

10. **महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया,**—उपरोक्त नियम 9 के तहत जारी आबंटन आदेश के विरूद्ध महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष महाविद्यालय के अधिष्ठाता व्दारा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी। समिति में 2 चिकित्सा शिक्षक सदस्य रखे जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रवेश समिति महाविद्यालय के अन्य चिकित्सा शिक्षकों अथवा अधिकारियों की मदद ले सकेगी।

(2) नियम 9 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु जारी आबंटन आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण हेतु पंजीकृत अभ्यर्थी को महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(3) महाविद्यालय की प्रवेश समिति अभ्यर्थी का चयन परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन से मिलान करने और अनुसूची—3 में वर्णित दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी को उसके दस्तावेज तथा प्रवेश शुल्क जमा कराने अथवा परीक्षण उपरान्त प्रवेश की पात्रता नहीं होने की लिखित संसूचना देगी।

(4) महाविद्यालय प्रवेश समिति से प्रवेश शुल्क जमा करने की संसूचना प्राप्त होने पर पंजीकृत अभ्यर्थी को निर्धारित प्रवेश शुल्क राशि पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कराना होगी।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी व्दारा प्रवेश शुल्क और आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय में जमा कराने पर पोर्टल से उसे प्रवेश पत्र जारी होगा और ऐसे अभ्यर्थी संबंधित रिक्ति के विरूद्ध प्रवेश अन्तिम माना जाने अथवा रिक्तियाँ उत्पन्न होने की दशा में बेहतर विकल्प का लाभ चुन सकेगा। बेहतर विकल्प पाठ्यक्रम, विषय, महाविद्यालय एवं श्रेणी संबंधी हो सकेंगे।

(6) अभ्यर्थी द्वारा आबंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुए भी प्रवेश नहीं लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

(7) महाविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णय से असन्तुष्ट अभ्यर्थी ऐसे निर्णय के जारी होने से अगले कार्यदिवस की रात्रि 12 बजे तक पोर्टल पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिसका निराकरण काउंसलिंग समिति व्दारा किया जाएगा और ऐसा निराकरण अन्तिम होगा।

11. **काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन,**—काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

(1) नियम 9 के तहत जारी आबंटन आदेश के अनुक्रम में नियम 10 के तहत प्रवेश प्रकिया सम्पन्न होने के उपरांत, उपलब्ध रिक्तिया, जिनमें नियम 10 (5) के अंतर्गत बेहतर विकल्प के चयन के अनुक्रम में उत्पन्न आभासी रिक्तियां शामिल होंगी, पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।

(2) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रकिया में निम्न अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा:–

(क) ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें कांउसिलिंग के प्रथम चक्र में नियम 9 के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो; एवं

(ख) नियम 10 (5) के अन्तर्गत बेहतर विकल्प का लाभ चुनने वाले अभ्यर्थी।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा।

(4) अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रकम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताकम से विषय, पाठ्यकम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा।

(5) उपरोक्त उपनियम– (4) –के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी होते ही अभ्यर्थी व्दारा काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(6) काउंसिलिंग के पूर्व चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका हो उन्हें प्रवेश के लिए संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति, दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आबंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (पूर्व महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा शुल्क को घटाकर) जमा कराना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य में होने की दशा में ऐसी अधिकता प्रवेश कैलेण्डर में निर्धारित तिथि अनुसार अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी।

(7) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को बेहतर विकल्प का लाभ चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी।

(8) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश की शेष प्रकिया नियम 10 अनुसार होगी।

12. **काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र (मॉपअप राउण्ड) में प्रवेश हेतु आबंटन,**—काउन्सिलिंग के अन्तिम चक्र अर्थात मॉपअप राउण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(1) नियम 9 एवं 11 के तहत जारी आबंटन आदेशों के अनुक्रम में प्रवेश सम्पन्न होने के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र में केवल उन्हीं पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जिन्हें काउन्सिलिंग के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो और जिन्होंने प्रवेश शुल्क अग्रिम रू. 2.00 लाख जमा कराया हो। जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के पूर्व चक्रों में आबंटन आदेश जारी किया गया हो वे काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र में विचार हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(3) उक्त उपनियम (2) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पोर्टल पर उसके विकल्प दर्ज कर सकेगा।

(4) अभ्यर्थी को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से विषय, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आबंटन आदेश जारी किया जाएगा।

(5) महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया नियम 10 अनुसार होगी। अभ्यर्थी को नियम 10 (5) में वर्णित बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी।

(6) प्रवेश के लिए आवंटन आदेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज एवं सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क पोर्टल पर आनलाईन एक मुश्त जमा कराना होगा।

(7) उप नियम (2) के अन्तर्गत जमा अग्रिम राशि का निराकरण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश जारी नहीं होने की दशा में, जमा अग्रिम राशि सभी चक्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लौटाई जाएगी।

(ख) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश के अनुक्रम में प्रवेश लेने पर जमा अग्रिम राशि प्रवेश शुल्क में समयोजित की जावेगी और आधिक्य की दशा में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ऐसी राशि अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी।

(ग) प्रवेश हेतु जारी आवंटन आदेश के अनुक्रम में प्रवेश नहीं लेने की दशा में राशि स्वमेव राजसात होगी।

13. **काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र के पश्चात प्रवेश हेतु आबंटन,—**

(1) काउन्सिलिंग के अन्तिम चक्र की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत, यदि किसी महाविद्यालय में कोई रिक्ति शेष रहती है तो ऐसी रिक्ति का पोर्टल पर पाठ्यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय वार प्रकाशन किया जाएगा।

(2) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पार्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की 10 गुना की सूची वरीयताक्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(3) प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर महाविद्यालय विशेष में प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरीयता सूची कम्प्यूटरीकृत प्रकिया से ऑनलाईन बनाई जाएगी। महाविद्यालय विर्निदिष्ट समय–सीमा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को रिक्तियों के विरूद्ध वरीयताक्रम से प्रवेश देगा।

(4) उपनियम (3) में निर्धारित वरीयताक्रम के उल्लघंन में दिया गया प्रवेश नियम विरूद्ध होकर स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

14. **सेवारत अभ्यर्थी के लिए प्रोत्साहन,—**

(1) डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत अथवा उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी, जो भी कम हो, के विरूद्ध सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

(2) सेवारत अभ्यर्थी की रिक्तियों में से श्रेणीवार आरक्षण के संबंध में नियम 4 (1) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।

(3) सेवारत अभ्यर्थियों की रिक्तियों में से महिला प्रवर्ग एवं दिव्यांग प्रवर्ग के आरक्षण के संबंध में नियम 4 (2) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।

(4) नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात पोर्टल पर पंजीयन करने वाले सेवारत अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (MCI)/डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI) व्दारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आबंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता क्रम नियत किया जाएगा।

(5) सेवारत चिकित्सों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की शर्त, पात्रता एवं चयन आदि के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समय–समय पर निर्धारित कर सकेगा जिसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

15. **प्रवेश से त्यागपत्र,–**

(1). काउंसिलिंग के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग का द्वितीय चरण पूरा होने तक किसी भी समय उसके प्रवेश से त्यागपत्र देकर उसका प्रवेश निरस्त करा सकेगा।

(2) अभ्यर्थी व्दारा त्यागपत्र देने की दशा में उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा और उसे प्रवेश की आगामी प्रकिया में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।

(3) प्रवेश निरस्ती की दशा में प्रवेश शुल्क की राशि विनिर्दिष्ट कटौतियों के उपरांत प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समय सीमा में अभ्यर्थी के बैंक खाते में लौटाई जाएगी।

16. **प्रवेश का निरस्तीकरण,–**संचालक, चिकित्सा शिक्षा निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर सकेगा–

(1) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता, पात्रता, प्रवर्ग, श्रेणी, मूल निवासी, आदि संबंधी असत्य पायीं जाने पर संचालक,चिकित्साशिक्षा ऐसाप्रवेश निरस्त कर सकेगा।

(2) प्रवेश निरस्त करने के निर्णय लेने के पूर्व संबंधित छात्र को 3 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जिसका प्रवेश उपनियम (1) के अन्तर्गत निरस्त किया गया हो, मध्यप्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय व्दारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए स्वतः अनर्हित हो जाएगा।

(4) महाविद्यालय के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा का आदेश बंधनकारी होगा, जिसके उल्लंघन की दशा में महाविद्यालय प्रबंधन एवं अधिष्ठाता के विरूद्ध संचालक, चिकित्सा शिक्षा समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

17. **शास्ति एवं दण्ड,–**

(1) निम्न परिस्थितियों में, अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 2 वर्ष तक स्वमेव अनर्हित होगाः–

(क) नियम 15 के सिवाय त्यागपत्र देने की दशा में;

(ख) प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की दशा में;

(ग) प्रवेश उपरांत पाठ्यक्रम से किसी भी समय पूर्णतः निष्कासित किया जाने की दशा में; एवं

(घ) नियम 16 के तहत प्रवेश निरस्त किया जाने की दशा में।

(2) अनूसची 3 में वर्णित किसी बन्धपत्र की शर्त के उल्लघंन की दशा में बन्धपत्र की राशि उल्लघंनकर्ता से एकमुश्त वसूल की जाएगीः

परंतु बंधपत्र देने वाला अभ्यर्थी बंध पत्र की राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास एकमुश्त जमाकर किसी भी समय बंधपत्र से मुक्त हो सकेगा।

18. इन नियमों का निर्वचन तथा संशोधन से संबंधित विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

अनुसूची–1
प्रवेश हेतु अर्हता
(नियम–2 (ड) देखिए)

स.क्र.	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु अर्हताएं	अभ्युक्ति
1.	एमबीबीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए मेडीकल काउन्सिल ऑफ इंडिया (MCI)व्दारा समय–समय पर निर्धारितः– (i) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना; (ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी, 10+2, आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं (iii)आयु की परिधि में होना।	
		(2) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
2.	बीडीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया (DCI)व्दारा समय–समय पर निर्धारितः– (i) चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना; (ii) अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी, 10+2, आदि) में न्यूनतम प्राप्तांक होना; एवं (iii)आयु की परिधि में होना।	
		(2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिएपंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

3	डिप्लोम / एमडी / एमएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए MCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2) MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (3)MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में MCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना।	
		(4)मध्यप्रदेश मेडीकल काउन्सिलमें स्थाई / अस्थाई पंजीयन होना। (5) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:— (अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं (ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

4.	एमडीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए DCI व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2)DCI से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से BDSउत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (2)DCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में DCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना। (3)मध्यप्रदेश डेंटल काउन्सिल में स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना। (4) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:– (अ) अभ्यर्थी व्दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी महाविद्यालय से बीडीएसपरीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं (ब) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
5.	डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.,एम.एस. एवं एमडीएस) में प्रवेश के लिए निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी स्वमेव अनर्हित होगा:– 1. डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए; एवं 2. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 3 वर्ष तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए।		

अनुसूची—2

(नियम—4 देखिए)
खण्ड—अ श्रेणीवार आरक्षण

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
एस0सी0	16
एस0टी0	20
ओ0बी0सी0	14

टीपः—एन0आर0आई0 प्रवर्ग की सभी रिक्तियॉ अनारक्षित होगी।

(नियम—4 देखिए)
खण्ड—ब प्रवर्गवार आरक्षण

प्रवर्ग	पाठ्यक्रम जिसमें लागू है	महाविद्यालय जिनमें लागू है	कुल सीटों का प्रतिशत
अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी	समस्त	केवल निजी महाविद्यालयों में	15
महिला अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	30
दिव्यांग अभ्यर्थी	समस्त		5
स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.	केवल शासकीय महाविद्यालयों में	3
सैनिक अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.		3

अनुसूची–3

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

(नियम–2 (छ) देखिए)

क्र	डिप्लोमा / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस एवं बीडीएस)
1.	चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्त प्रति।	चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्त प्रति।
2.	चयन परीक्षा की अंक सूची की प्रति।	चयन परीक्षा की अंक सूची की प्रति।
3.	अर्हता परीक्षा (एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.) के अंतिम सत्र की अंक सूची की मूल प्रति। भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्कीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	एमसीआई / डीसीआई द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा की (यथा हायर सेकेण्ड्री, 10+2 आदि) अंकसूची की मूल प्रति।
4.	आयु प्रमाण के लिए सेकेण्ड्री, हायर सेकेण्ड्री, 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र / अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।	अर्हता परीक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित नहीं होने की दशा में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति।
5.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6.	परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है।	परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है।
7.	अभ्यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।	अभ्यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।
8.	आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
9.	दिव्यांग प्रवर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	दिव्यांग प्रवर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
10.	एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

11.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज– (i) सीट लीविंग बन्ध पत्र (Seat Leaving Bond) (ii) ग्रामीण सेवा/मेधावी छात्र बन्ध पत्र (bond) (iii) मध्यप्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र। (iv) अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी का संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र। (v) अनिवासी भारतीय का अभ्यर्थी केउस पर आश्रित होने संबंधी संलग्न प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र।	संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज– (i)सीट लीविंग बन्ध पत्र (Seat Leaving Bond) (ii) ग्रामीण सेवा/ मेधावी छात्र बन्ध पत्र (bond) (iii) मध्यप्रदेश से अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र। (iv) अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी का संलग्न प्रारूप में शपथ–पत्र। (v) अनिवासी भारतीय का संलग्न प्रारूप में अभ्यर्थी के उस पर आश्रित होने संबंधी संलग्न प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र।
12.	अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा 31 मार्च तक इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	सैनिक प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्डेंट द्वारा और सेवानिवृत्त अथवा मृत सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
13.	मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल अथवा मध्यप्रदेश डेन्टल काउंसिल (जो भी लागू हो) में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
14.	सेवारत अभ्यर्थी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र।	–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सभाजीत यादव, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5-7/2018/1-55, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण (अधिनियम 2007 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के नियम 2 (ण) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए, शासकीय चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए लागू करता है :-

'नियम 2 (ण) महाविद्यालय से अभिप्रेत है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय।'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जून 2019—ज्येष्ठ 29, शक 1941

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. एफ—14—17—2007—बयालीस(1).— मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपनियम 2 (ठ) तथा 2 (प) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं अर्थात् :—

(ठ) ''प्रवर्ग'' से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सैनिक एवं दिव्यांग प्रवर्ग.

(प) 'श्रेणी' से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अनारक्षित श्रेणी.''.

2. नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए अर्थात् :—

''(2) ''प्रवर्गवार आरक्षण :—

(क) प्रवर्गवार आरक्षण अनुसूची—2 के खण्ड—'ब' के अनुसार होगा.

(ख) प्रथमतः प्रवर्गवार आरक्षण की रिक्तियां श्रेणीवार न होकर कुल रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जायेंगी. तत्पश्चात् इन रिक्तियों पर निर्धारित श्रेणीवार आरक्षण लागू किया जाकर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा.

(ग) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र (मॉप अप चरण) में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आवंटन हेतु संबंधित श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थियों को स्वतः आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगी.''.

3. नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"6 **पंजीयन** – चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी देते हुये काउंसिलिंग के प्रथम चरण से पूर्व विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पंजीयन कराना होगा. अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा. जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा. पंजीयन पश्चात पंजीयन में दी गई जानकारी में परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय अथवा स्वीकार नहीं की जाएगी. द्वितीय चरण के पश्चात् एवं काउंसिलिंग के अंतिम चरण (मापॅ अप चरण) से पूर्व पंजीयन पुनः खोला जायेगा जिसमें पूर्व में पंजीयन कराये गये अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी भी पंजीयन कर सकेंगे.".

4. नियम 11 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(ग) (एक) प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य पात्र अभ्यर्थी जो स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 2 (क) के अनुसार द्वितीय चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें द्वितीय चक्र में विकल्प भरने से पूर्व शासकीय महाविद्यालय हेतु रु. 10,000/– दस हजार (अनारक्षित श्रेणी) एवं रु. 5000/– रु. पांच हजार (अनारक्षित श्रेणी) तथा निजी महाविद्यालय के लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को रु. 1,00,000/– रु. एक लाख अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करना होगा.

(दो) प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य पात्र अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु 2 (क) एवं (ख) के अनुसार द्वितीय चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें द्वितीय चक्र में विकल्प भरने से पूर्व शासकीय महाविद्यालय हेतु रु. 25,000/– रु. पच्चीस हजार (अनारक्षित श्रेणी) एवं रु. 12,500/– रु. बारह हजार पांच सौ (अनारक्षित श्रेणी) तथा निजी महाविद्यालय के लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को रु. 2,00,000/– दो लाख अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा.

(तीन) अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क की राशि का समायोजन नियम 12 के उपनियम (7) के अनुसार किया जावेगा.

5. नियम 11 के उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(7) काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को बेहतर विकल्प (अपग्रेडेशन) चुनने की सुविधा दी जायेगी. यह विकल्प पाठ्यक्रम, महाविद्यालय, विषय अथवा श्रेणी संबंधी हो सकेगा."

6. नियम 12 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात :–

(2) काउंसिलिंग के अंतिम चक्र में केवल निम्नलिखित पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जायेगा :–

(एक) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चक्र में आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है.

(दो) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश लिया है एवं बेहतर विकल्प (upgradation) का चयन किया है.

(तीन) नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी."
उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क अग्रिम रु. 2 लाख जमा कराना आवश्यक होगा.

7. नियम 12 के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(8) (क) मॉप अप चरण की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिये जाने की स्थिति में अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् सीट से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त सीटें मॉप अप चरण के पश्चात् संस्था स्तर पर कराये जाने वाले चरण की काउंसिलिंग (सी0एल0सी0) में सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(ख) उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्णित अभ्यर्थी स्वतः आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये अपात्र घोषित होंगे एवं इन अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा यह सूची अन्य राज्यों के संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (एम0सी0आई0), दंत चिकित्सा परिषद (डी0सी0आई0) एवं डी0जी0एच0एस0 भारत सरकार को अन्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश न दिये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी.''.

8. नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-

''14 (क) अनिवासी भारतीय (एन0आर0आई0) कोटा –

(एक) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में 15 प्रतिशत रिक्तियां ''अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी'' के लिये आरक्षित रहेंगी.

(दो) काउंसिलिंग के अंतिम चक्र (मॉप अप राउण्ड) में एन0आर0आई0 कोटे की रिक्तियों हेतु पात्र एन0आर0आई0 अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह रिक्ति अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित हो जायेगी एवं मेरिट सह विकल्प के आधार पर पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को आवंटित की जायेगी.

(तीन) प्रथम चक्र में अनिवासी भारतीय कोटा के तहत प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र एवं मॉप अप चरण मे विकल्प भरने से पूर्व रु. 10 लाख अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करने होंगे.

(चार) एन0आर0आई0 अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क की राशि का समायोजन नियम 12 (7) के अनुसार किया जायेगा.''

9. नियम 15 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(1)(क) प्रथम चरण के उपरांत प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने की समय-सीमा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने की तिथि से दो दिवस पूर्व तक रहेगी.

(1)(ख) निर्धारित समय-सीमा के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने की दशा में उस पर सीट छोड़ने संबंधी बंध-पत्र की शर्त लागू होगी जिसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र दिये जाने पर बंध राशि रु. 30 लाख अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी संस्था को देय होगी. निजी चिकित्सा एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित निजी संस्था में संचालित पाठ्यक्रम में संपूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा.

10. नियम 17 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(1) निम्न परिस्थितियों में, अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिए 3 वर्ष तथा स्नातकोत्तर उपाधि (डिग्री) में प्रवेश के लिए 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (डिप्लोमा) 2 वर्ष तक स्वमेव अनर्हित होगा.

11. नियम 17 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(3) काउंसिलिंग प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम0सी0आई0) के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, भारतीय दंत परिषद (डी0सी0आई0) एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन होगी.''

12. अनुसूची–2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"अनुसूची – 2
[नियम 4 (1) देखिए]

श्रेणीवार आरक्षण खण्ड (अ)

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
एस.सी.	16
एस.टी.	20
ओ.बी.सी.	14
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10

[नियम 4 (2) देखिए]

प्रवर्गवार आरक्षण खण्ड (ब)

प्रवर्ग	पाठ्यक्रम जिसमें लागू है	महाविद्यालय जिनमें लागू है	कुल सीटों का प्रतिशत
महिला अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	30
दिव्यांग अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	5
स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.	केवल शासकीय महाविद्यालयों में	3
सैनिक अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.	केवल शासकीय महाविद्यालयों में	3"

13. अनुसूची–2 खण्ड–'ब' के नीचे खण्ड 'स' स्थापित किया जाए :–

खण्ड 'स'

कोटा	पाठ्यक्रम जिसमें लागू है	महाविद्यालय जिनमें लागू है	कुल सीटों की प्रतिशत
अनिवासी भारतीय (एन0आर0आई0 कोटा)	समस्त	केवल निजी महाविद्यालयों में	15

14. अनुसूची–3 के क्रमांक 9 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :–

"दिव्यांग प्रवर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी राज्य के अथवा केन्द्र शासन के अधिकृत विकलांगता/दिव्यांगता केन्द्र (Disability Centre) से अधिकृत प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट 2016 के सेक्शन 58 (3) के अनुसार)."

15. अनुसूची–3 में क्रमांक 10 में शब्द "प्रवर्ग" के स्थान पर, शब्द "कोटा" स्थापित किया जाए.,

16. अनुसूची – 3 के क्रमांक 11 (iii) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्

"मध्यप्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी) प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं करने एवं अन्य राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी) होने का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी शपथ–पत्र."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2019.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2021—आश्विन 13, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2021

क्र. एफ 14-17-2007-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 में, उप-नियम (1) में, खंड (ग) में,—

(1) उपखंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्तियों के विरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(2) उपखंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(5) उपरोक्त चारों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को.".

2. नियम 12 में, उप-नियम (8) में, खण्ड (क) का लोप किया जाए.

3. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"14. **सेवारत अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन,—**

सेवारत अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन.

(1) शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों पर अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर हेतु 30 प्रतिशत आरक्षण रहेगा.

(2) उप-नियम (1) की रिक्तियों पर श्रेणीवार आरक्षण के संबंध में नियम 4 (1) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे.

(3) उप-नियम (1) की रिक्तियों में से महिला प्रवर्ग एवं दिव्यांग प्रवर्ग के आरक्षण के संबंध में संशोधित नियम 4 (2) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे.

(4) अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष की नीट पी.जी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

(5) नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् पोर्टल पर पंजीयन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के सेवारत अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (MCI)/डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आबंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता क्रम नियत किया जाएगा.

(6) सेवारत चिकित्सों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त, पात्रता, अधिमान अंक दिया जाना, स्पॉन्सरशिप एवं चयन आदि के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समय-समय पर निर्धारित कर सकेगा जिसे स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा. चयनित पात्र चिकित्सकों की सूची काउंसलिंग प्रारंभ होने से 7 दिवस पूर्व संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को पी. जी. काउंसलिंग में शामिल किये जाने हेतु उपलब्ध करायेगा.

(7) चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर जिन्हें अध्ययन अवकाश की पात्रता है एवं संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, वे ही आरक्षण के लाभ के लिये पात्र होंगे. संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय उक्त चयनित चिकित्सकों की सूची पीजी काउंसलिंग प्रारंभ होने से 7 दिवस पूर्व संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को पीजी काउंसिलिंग में शामिल किये जाने हेतु उपलब्ध करायेगा.

(8) सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल ऑफिसर को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष का अनिवार्य सेवा करनी होगी. बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रु. 50 लाख जमा करने होंगे.".

4. नियम 17 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(3) पाठ्यक्रम अवधि में किसी भी समय अनुशासनहीनता, हड़ताल पर जाने की स्थिति में, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने आदि गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अनुशंसा किये जाने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा संबंधित छात्र-छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा.".

5. अनुसूची-2 में, खण्ड (अ) में श्रेणीवार आरक्षण के स्थान पर, निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"खण्ड-(अ) श्रेणीवार आरक्षण

श्रेणी	महाविद्यालय जिनमें लागू है	आरक्षण का प्रतिशत
एस. सी.	समस्त चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में	16%
एस. टी.		20%
ओ.बी.सी.		14% (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु) 27 % (स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	केवल शासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में	10%"

एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ–14–17–2007–बयालीस–1.– निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में,–

1. निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा का लोप किया जाए, अर्थात्:–

"सेवारत अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोन्सट्रेटर/टयूटर/मेडिकल आफिसर अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन" का लोप किया जाये.

2. उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1) शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों (Vacancies) पर अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थियों जिनके द्वारा ग्रामीण/दूरस्थ/कठिन (Rural/Remote/Difficult area) स्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि की सेवा प्रदान की हो, के लिये 30 प्रतिशत सीटों का कोटा रहेगा.".

3. उप–नियम (7) को लोप किया जाए.

4. उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(8) सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी. बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रु. 50 लाख जमा करने होंगे.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. आर. धाकड, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मई 2023—वैशाख 20, शक 1945

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

फाइल क्र. 14-17-2007-बयालीस-1 .—निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के उपनियम (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

"(ठ) "**प्रवर्ग**" से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी;

2. नियम 2 के उपनियम (प) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(फ) "**शासकीय विद्यालय**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय";

(ब) "**शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी**" से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात् शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो.".

3. अनुसूची 3 की तालिका में क्रमांक 9 के नीचे निम्नलिखित क्रमांक 9क जोड़ा जाए :—

क्र.	डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस / बीडीएस)
9क	—	शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी / जिला संयोजक / सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

4. अनुसूची 2 के विद्यमान खण्ड (ब) की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए :—

''प्रवर्ग (1)	पाठयक्रम जिसमें लागू है (2)	महाविद्यालय जिसमें लागू है (3)	कुल सीटों का प्रतिशत (4)
महिला अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	30
दिव्यांग अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	5
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी	एमबीबीएस एवं बीडीएस	केवल शासकीय महाविद्यालय	3
सैनिक अभ्यर्थी	एमबीबीएस एवं बीडीएस	केवल शासकीय महाविद्यालय	3
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी	एमबीबीएस एवं बीडीएस	समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालय	5''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024—आषाढ़ 11, शक 1946

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ—14—17—2007—बयालीस (1).— मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(क) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115—ग के खण्ड (ङ) में उसके लिए दिया गया है.".

2. नियम 2 के खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

(भ) "भारत की विदेशी नागरिकता" से अभिप्रेत है, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 के खण्ड (ङङ) में परिभाषित भारत की विदेशी नागरिकता;

(म) "स्ट्रे वेकेन्सी" से अभिप्रेत है, मॉप—अप—चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत एवं अन्य किसी कारण से उत्पन्न रिक्तियाँ;

(य) "माप अप चरण" से अभिप्रेत है, काउंसिलिंग के नियमित चरणों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त रही सीटों पर आबंटन हेतु की जाने वाली काउंसिलिंग;

(र) "आभासी रिक्तियों" से अभिप्रेत है, रिक्तियाँ जो नियमित चरणों की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम चरण की काउंसिलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प लिए जाने पर उत्पन्न होती है. ऐसे किसी अभ्यर्थी का

ऑनलाईन आबंटन प्रकिया के दौरान अपग्रेड होने पर यह रिक्ति वास्तविक रिक्ति (फिजिकल वेकेंसी) के रूप में आबंटन हेतु उपलब्ध हो जाती है एवं च्वाईस–कम–मेरिट के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थी को आबंटित होती है;

(ल) "पंजीकृत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के लिए निर्धारित पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी;

(व) "अपग्रेडेशन" से अभिप्रेत है, प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेश उपरान्त अगले चरण में बेहतर महाविद्यालय/विषय हेतु विकल्प दर्ज किया जाना;

(श) "अंतिम रूप से प्रवेशित संतुष्ट अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, राज्य स्तरीय काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जिसके द्वारा अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं लिया गया है;

(ष) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 02 जुलाई, 2019 एवं 18 जुलाई, 2019 तथा 22 नवम्बर, 2019 में यथा निर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.".

3. नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ग) काउंसिलिंग के मॉप––अप–चरण में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आबंटन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा:–

(1) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(2) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को;

(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियों की मेरिट में आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(5) उपरोक्त चारों श्रेणियों की मेरिट में आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट आबंटन की पात्रता होगी.''.

4. नियम 4 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) का लोप किया जाए.

5. नियम 4 के उप–नियम (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात्:–

"(ख) प्रथमतः प्रवर्गवार आरक्षण की रिक्तियाँ श्रेणीवार न होकर कुल रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, तत्पश्चात् इन रिक्तियों पर निर्धारित श्रेणीवार आरक्षण लागू किया जाकर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, इन सीटों पर आबंटन नीट मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

(ग) काउंसिलिंग के मॉप–अप–चरण में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आबंटन हेतु संबंधित श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी को स्वतः आबंटन हेतु उपलब्ध हो जाएंगी.''.

6. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"6. पंजीयन.–

(क) चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल dme.mponline.gov.in पर आवश्यक जानकारी देते हुए काउंसिलिंग के प्रथम चरण से पूर्व विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. पंजीयन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करना होगा, जो कि अप्रतिदेय (नॉन–रिफण्डेवल) होगी. अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध

करानी होगी. जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा. पंजीयन की समयावधि में अभ्यर्थी को उसके लॉग इन पर प्रोफाईल / पंजीयन की प्रविष्टियों में संशोधन करने हेतु एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा.

(ख) प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी कारणवश प्रथम चरण की काउंसलिंग से पूर्व कराए गए पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक हैं उन्हें द्वितीय चरण की कांउसिलिंग से पूर्व निर्धारित समय सीमा में पंजीयन में आवश्यक संशोधन करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा. निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा.

(ग) मॉप अप चरण से पूर्व पंजीयन पुनः खोला जाएगा. पूर्व में पंजीयन कराए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते हैं वे पंजीयन करा सकेंगे. पंजीयन की समयावधि में अभ्यर्थी को उसके लॉग इन पर प्रोफाईल / पंजीयन की प्रविष्टियों में संशोधन करने हेतु एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा.".

7. नियम 10 के उप–नियम (6) एवं (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(6) अभ्यर्थी द्वारा आबंटन उपरान्त आबंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेने की दशा में उसे द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः भाग लेने की पात्रता होगी.

(7) महाविद्यालय की प्रवेश समिति, अभ्यर्थी का नीट परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन /नीट अंकसूची से मिलान करने और अनुसूची–3 में वर्णित दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उसके मूल दस्तावेज तथा प्रवेश शुल्क जमा कराने अथवा परीक्षण उपरान्त प्रवेश की पात्रता नहीं होने पर अभ्यर्थी को लिखित संसूचना देगी. स्कूटनी उपरांत अपात्र घोषित अभ्यर्थी संचालनालय स्तर पर शासन द्वारा गठित कांउसिलिंग समिति के सम्मुख अपात्र घोषित किए जाने की दिनांक से 2 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगें. काउंसलिंग समिति द्वारा पारित निर्णय बाध्यकर होगा.".

8. नियम 11 के उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रकिया में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा:–

(क) ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें कांउसिलिंग के प्रथम चक्र में नियम 9 के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो;

(ख) नियम 10 (5) के अन्तर्गत बेहतर विकल्प (अपग्रेडेशन) का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी;

(ग) अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है; एवं

(घ) अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण से प्रवेशित सीट रिक्त कर दी गई हो.".

9. नियम 11 के उप–नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(9) पात्र अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में आबंटन हुआ है एवं आबंटन उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण हेतु जमा कराई गई सिक्युरिटी राशि राजसात की जाएगी तथा वे आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे.".

10. नियम 12 के उप–नियम (7) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ग) अभ्यर्थी जिन्हें मॉप–अप–चरण में आबंटन हुआ है एवं आबंटन उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है (इसमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्हें आबंटन उपरान्त स्कूटनी में अपात्र पाया गया हो)

ऐसे अभ्यर्थियों की मॉप–अप–चरण की च्वाईंस फिलिंग से पूर्व जमा कराई गई निर्धारित अग्रिम राशि रूपये दो लाख राजसात कर ली जाएगी एवं ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगे.".

11. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"13. स्ट्रे वेकेन्सी चरण.–

काउन्सिलिंग के मॉप–अप–चरण की प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त रहीं सीटें स्ट्रे वेकेन्सी चरण हेतु अनारक्षित रहेंगी. अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के तीनों चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है केवल वहीं स्ट्रे वेकेन्सी चरण हेतु पात्र होंगे.".

12. नियम 15 के उप–नियम (1)(क) एवं (1) (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(1) (क) काउंसिलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चरण प्रारंभ होने की दिनांक से दो दिवस पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे. ऑनलाईन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा. त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. इन अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे.

(ख) काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप चरण आरंभ होने की दिनांक से दो दिवस पूर्व तक अपनी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे. ऑनलाईन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा. त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. इन अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा किन्तु वे अग्रिम चरणों की कांउसिलिंग हेतु अपात्र होंगे. ऐसे ओपन श्रेणी के अभ्यर्थी से रू. 2 लाख एवं एन.आरआई. /ओ.सी.आई. अभ्यर्थी से रू. 10 लाख की राशि आर्थिक दण्ड के रूप में कटौत्री की जाएगी.

(ग) मॉप–अप–चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के उपरान्त यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर सीट छोडने संबंधी बॉण्ड (सीट लिविंग बॉण्ड) लागू होगा, जिसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने पर बंधपत्र राशि रूपए 30 लाख अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी संस्था को देय होगी. निजी चिकित्सा एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिए जाने पर संबंधित निजी संस्था में संचालित पाठयक्रम में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क संस्था को देय होगा. वे अग्रिम चरण की काउंसिलिंग हेतु अपात्र होंगे. त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा.".

13. अनुसूची–2 के खण्ड (अ) एवं (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

अनुसूची–2

(नियम 4 देखिए)

खण्ड–अ श्रेणीवार आरक्षण

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	महाविद्यालय जिनमें लागू है
अनुसूचित जाति	16	समस्त महाविद्यालयों में
अनुसूचित जनजाति	20	समस्त महाविद्यालयों में
अन्य पिछड़े वर्ग	14	समस्त महाविद्यालयों में
ई.डब्ल्यू.एस. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10	केवल शासकीय महाविद्यालयों में

खण्ड—ब प्रवर्गवार आरक्षण

प्रवर्ग	पाठ्यक्रम जिसमें लागू है	महाविद्यालय जिनमें लागू है	कुल सीटों का प्रतिशत
महिला अभ्यर्थी	समस्त	समस्त महाविद्यालयों में	33
दिव्यांग अभ्यर्थी	समस्त		5
स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.	केवल शासकीय महाविद्यालयों में	3
सैनिक अभ्यर्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.		3
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी	एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.	समस्त महाविद्यालयों में	5

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2025—भाद्र 12, शक 1947

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

File No. : एफ—14—17—2007—बयालीस—1.　　भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2025

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

1. अनुसूची-1 में, विद्यमान सरल क्रमांक 3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची-1

प्रवेश हेतु अर्हता

(नियम-2 (ड) देखिए)

स.क्र.	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु अर्हताएं	अभ्युक्ति
3.	एमडी/एमएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2) नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (3) नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदण्डों के अनुसार इन्टर्नशिप पूर्ण होना। (4) मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल में स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगीः- काउंसिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध
		(5) मध्यप्रदेश राज्य के नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना।	रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

4.	एमडीएस	(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया व्दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना। (2) डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बीडीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना। (3) डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय में डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों के अनुसार इन्टर्नशिप पूर्ण होना। (4) मध्यप्रदेश डेंटल काउन्सिल में स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना। (5) मध्यप्रदेश राज्य के डेंटल काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बीडीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना।	निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:- काउंसिलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बी0डी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.